सुमन सूद @ कमल जीत कौर

बनाम

राजस्थान राज्य

14 मई, 2007

[सी. के. ठाकर और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

भारत का संविधान–अनुच्छेद 33–भारतीय दंड संहिता, 1860––धारा 120 ए, 120 बी, 343, 346, 353, 364 ए, 365, 420, 468 और 471–विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908–धारा 4 और 5–प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 प्रत्यर्पण (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा संशोधित–धारा 21–अभियुक्त, पति और पत्नी, अपहरण में शामिल थे – आरोपियों को देश के बाहर से गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पित किया गया और उन पर आपराधिक साजिश, फिरौती के लिए अपहरण और गलत तरीके से कैद करने के अपराध का आरोप लगाया गया – विचारण न्यायालय ने आरोप लगाए गए अपराधों के लिए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई और आरोपी–पत्नी को बरी कर दिया फिरौती के लिए अपहरण के अपराध में – उच्च न्यायालय ने आरोपी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और आरोपी–पत्नी को बरी करने के आदेश को खारिज कर दिया–सही माना गया, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, अभियोजन पक्ष ने आरोपी–पत्नी द्वारा फिरौती के लिए अपहरण के अपराध को छोड़कर आरोपी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सभी उचित संदेह से परे साबित कर दिया है–इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को बरकरार रखा गया– आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987।

अपीलकर्ता–अभियुक्त, पति और पत्नी, एक अपने आतंकवादी संगठन के सदस्यों में से एक की रिहाई के लिए एक राजनेता के बेटे के अपहरण में शामिल थे। पीड़ित को एक कार में अपहरण कर लिया गया और रिहा होने से पहले कुछ दिनों तक आरोपी के घर में बंधक बनाकर रखा गया। दोनों आरोपियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था और आईपीसी की धारा 343, 346, 353, 364 ए, 365, 420, 468, 471, 120 ए और 120 बी के तहत अपराध करने और धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भारत प्रत्यर्पित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता–पति को आईपीसी की धारा 364 ए, 365, 343 सपठित 120 बी और 346 सपठित 120 बी आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई और अपीलकर्ता–पत्नी को धारा 365 सपठित 120 बी, और धारा 343 सपठित 120 बी के तहत सजा सुनाई। उसे और 346 सपठित 120 बी आईपीसी और धारा 364 ए सपठित 120 बी आईपीसी के तहत अपराध से बरी कर दिया। अपीलकर्ताओं ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। राज्य ने आईपीसी की धारा 364 ए सपठित 120 बी के तहत अपीलकर्ता–पत्नी को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपील खारिज कर दी और अपीलकर्ता–पत्नी को बरी करने के आदेश को उलट कर राज्य की अपील को स्वीकार किया।

इस अदालत में अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन पर आईपीसी की धारा 364 ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि प्रत्यर्पण आदेश में अपराध का कोई संदर्भ नहीं था, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़ित का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। आईपीसी की धारा 364 ए के तहत अपराध और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि जिस घर या कार से पीड़ित का अपहरण किया गया था, वह आरोपियों के कब्जे में थी। अपीलकर्ता–पत्नी ने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्पण आदेश में आईपीसी की धारा 365 के तहत अपराध का उल्लेख नहीं किया गया था और इसलिए धारा 365 सपठित 120 बी आईपीसी के तहत दोषसिद्धि और सजा अवैध थी, उसके खिलाफ आपराधिक साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं था और उच्च अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 364 ए सपठित 120 बी के तहत फिरौती के लिए अपहरण का दोषी ठहराकर गलती की।

प्रत्यर्थी राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यर्पण आदेश में, आईपीसी की धारा 364 ए का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था और इसलिए उक्त प्रावधान के तहत आरोपी के मुकदमे के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है और यह कि अपहरण और फिरौती के लिए भी पर्याप्त सबूत थे।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने–

अवधारित किया की; 1.1 . प्रत्यर्पण योग्यता के प्रमाणीकरण का अंतिम निर्णय है जो अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से किए गए विभिन्न अपराधों के लिए स्पष्ट रूप से प्रत्यर्पण प्रदान करने वाले निर्णय, आदेश या डिक्री की प्रकृति में था। फैसले में आईपीसी की धारा 364 ए का स्पष्ट उल्लेख किया गया है. इसलिए, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता–अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण नहीं किया जा सकता था और उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।[पारस 24 और 27] [511–डी, एच।

1.2 . यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि अभियुक्त पर बड़े अपराध का आरोप लगाया गया है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर, अदालत को पता चलता है कि अभियुक्त ने वह अपराध नहीं किया है, लेकिन समान रूप से संतुष्ट है कि उसने कम अपराध किया है तो उसे इसकी कम सज़ा के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। चूंकि बड़े अपराध (आईपीसी की धारा 364 ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी, इसलिए छोटे अपराध (धारा 365) के लिए उसके अभियोजन और मुकदमे को कानून के अधिकार के बिना नहीं माना जा सकता है।[पैरा 29 और 34] [513–एच; 514–ए]

रोजिलिन जॉर्ज बनाम भारत संघ, [1994] 2 एस. सी. सी. 80: जे. टी. (1993) 6 एससी 51 ; दया सिंह और अन्य। वी. भारत संघ, [2001] 4 एस. सी. सी. 516; जे. टी. [2001] 5 एस. सी. सी. 31 संदर्भित।

थिराद वी. फेरांडिना, 365 फ्रेड सप। 1155 , संदर्भित किया गया।

1.3 . पीड़ित का व्पहरण स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है और अभियोजन साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़ित का अपहरण कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष के सबूतों और दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई कमज़ोरी नहीं है। मांग को स्पष्ट रूप से फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया गया था जिसके लिए पीड़ित का अपहरण किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि फैक्स संदेशों में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए पीड़ित का अपहरण, व्पहरण और **dSn** फिरौती के लिए नहीं थी। आईपीसी की धारा 365 और 364 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी–पति को दोषी ठहराने में न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ने कोई तथ्यात्मक त्रुटि या कानून की कोई त्रुटि की है। [पैरा 36, 38 और 39] [514–सी, ई, एफ; 515–एफ, जी]

1.4 . जिस घर में पीड़ित को रखा गया था, उस घर को आरोपी द्वारा खरीदने और उस पर विशेष कब्ज़ा करने के साक्ष्य स्थापित हैं और अभियोजन साक्ष्य को दोनों अदालतों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरह, आरोपी के पास कार का स्वामित्व और उस पर कब्ज़ा होना भी समान रूप से साबित होता है। इस बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया कि सबूतों पर भरोसा करने में अदालतें कैसे गलत थीं और ऐसे सबूतों को क्यों खारिज कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 40] [515–एच; 516–ए]

1.5 . दोनों अदालतों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों पर विचार किया और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि आरोपी की पहचान संदेह से परे स्थापित की गई थी, पीड़ित का साक्ष्य स्वाभाविक और आत्मविश्वास से प्रेरित था। टेलीविज़न पर दिखाए गए और समाचार पत्रों में प्रकाशित अभियुक्तों की तस्वीरें किसी भी तरह से अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं, यदि अन्यथा अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और न्यायालय अभियुक्त की पहचान के बारे में संतुष्ट है। इस प्रकार यह संदेह से परे साबित हो गया है कि आरोपी पति ने आईपीसी की धारा 343 सपठित धारा 120 बी व धारा 346 सपठित धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध किया था। [पैरा 41] [516–सी–ई]

1.6 . साजिश का अंदाजा आसपास की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है, क्योंकि आम तौर पर साजिश का कोई प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि आरोपी–पत्नी द्वारा की गई आपराधिक साजिश के बारे में दोनों न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोजन साक्ष्य से यह पूरी तरह साबित हो गया कि पीड़ित का आरोपी पति और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया था। आरोपी पत्नी उक्त तथ्य से भली–भांति परिचित थी और वह पूरे समय पीड़ित पर नजर रखती थी। पीड़ित का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह भोजन, दवा आदि देती थी। आईपीसी की धारा 364 सहपठित 120 बी, 343 सपठित 120 बी और 346 सपठित 120 बी आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी–पत्नी को दोषी ठहराने में दोनो अदालतें सही थीं। नीचे दी गई अदालतों के तर्क या निष्कर्ष में कोई कमज़ोरी नहीं है और उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।[पैरा 53] [519–जी–एच; 520–ए]

भगवान स्वरूप बनाम। महाराष्ट्र राज्य, [1964] 2 एससीआर 368: एयर [1965] एससी 82; बाबूराव बाजीराव पाटिल बनाम। महाराष्ट्र राज्य, [1971] 3 एस. सी. सी. 432; केहर सिंह बनाम राज्य

(दिल्ली प्रशासन), [1988] 3 एस. सी. सी. 609; आकाशवाणी [1988] एससी (1883); नजीर खान बनाम। दिल्ली राज्य, [2003] 8 एस. सी. सी. 461; ए. आई. आर. (2003) एस. सी. 4427; जे. टी. (2003) सप्लीमेंट 1 एस. सी. 200, संदर्भित।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड [चौथा संस्करणः खण्ड. 11] , संदर्भित किया गया।

1.7 . आरोपी–पत्नी को फिरौती के लिए पीड़ित के अपहरण से जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सबूत नहीं है। जिस कार में पीड़िता का अपहरण किया गया था, वह उस पार्टी की सदस्य नहीं थी। अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप नहीं है कि आरोपी ने किसी भी अवसर पर आतंकवादी संगठन के सदस्य की रिहाई की मांग की थी या जब पीड़ित के परिवार के सदस्यों को ऐसे टेलीफोन कॉल किए गए थे तो वह मौजूद थी। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह आतंकवादी संगठन की सदस्य थी। यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि वह आतंकवादी संगठन के सदस्य को जानती थी या उसकी रिहाई में दिलचस्पी रखती थी। पीड़ित ने अपने बयान में यह कहीं नहीं कहा कि पूरी अवधि के दौरान, उसने उसे बताया था कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे वहां रखा गया था ताकि आतंकवादी संगठन के सदस्यों में से एक को रिहा कर दिया जाए। आरोपी को फिरौती और आतंकवादी संगठन के सदस्य की रिहाई के लिए आरोपी–पति की कथित मांग से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है।[पैरा 63] [521–एफ–एच; 522–ए–बी]

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश [2002]; उन्नत कानून शब्दकोश [तीसरा] संस्करण] संदर्भित।

1.8 . केवल इस आधार पर कि आरोपी–पत्नी अपने पति के साथ उसी घर में रह रही थी, यह नहीं माना जा सकता है कि वह पीड़ित को रखने और रखने में आरोपी–पति के साथ आपराधिक साजिश में सह–साजिशकर्ता के रूप में शामिल थी। किसी भी गवाह ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपी–पत्नी द्वारा फिरौती के बारे में गवाही नहीं दी है। यह स्थापित कानून है कि यदि दो विचार संभव हैं और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है, तो उच्च न्यायालय बरी करने के ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तथा साक्ष्यों को समग्र रूप से देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त–पत्नी को आईपीसी की धारा 364 ए सपठित धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी करके, ट्रायल कोर्ट ने अवैध या गैरकानूनी कार्य किया था। उच्च न्यायालय को आईपीसी की धारा 364 ए सपठित धारा 120 बी के तहत अपराध के लिए आरोपी–पत्नी को बरी करने के फैसले को रद्द नहीं करना चाहिए था। [पारस 66, 67, 68 और 70] [522–एफ; 523–बी, सी; 524–डी]

दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) बनाम नवजोत संधू @अफसान गुरु, [2005] 11 एस. सी. सी. 600; जे. टी. (2005) 7 एस. सी. 1 और चंद्रप्पा और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य, जेटी (2007) 3 एससी 316, [2007] 3 स्केल 90, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता; आपराधिक अपील सं. 867/2006 .

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.03.2006 से एस.बी. 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1247।

के साथ

सीआरएल अपील सं. 2007 की 727।

सुशील कुमार, कामिनी जैसवाल, दसवीर सिंह दले, शोमिला बख्शी, सुनीता द्विवेदी, विनय अरोड़ा और सुदर्शन सिंह रावत। अपीलार्थी की ओर से।

मिलिंद कुमार (अरुणेश्वर गुप्ता के लिए) **izR;FkhZ** के लिए।

न्यायालय का निर्णय के द्वारा दिया गया,

सी. के. ठाकर, जे. 1. एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या 2965 ऑफ़ 2006 में दी गई स्वीक़ती ।

2. वर्तमान आपराधिक अपीलें दया सिंह लाहौरिया उर्फ राजीव सूदन उर्फ विनय कुमार और सुमन सूद उर्फ कमल जीत कौर उर्फ कंवलजीत कौर, पति और पत्नी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) द्वारा पारित फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। दिनांक 20 मार्च 2006 क्रमशः एसबी क्रिमिनल अपील संख्या 1247/2004 और डीबी क्रिमिनल अपील संख्या 11/2005 में।

3. उक्त आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364 ए, 365, 343 सपठित 120 बी और 346 सपठित 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दया सिंह के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की। उक्त दोषसिद्धि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) श्रेणी 1, जयपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2004 को सत्र परीक्षण संख्या 26/2003 में दर्ज की गई थी। जहां तक सुमन सूद का सवाल है, उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 365 सपठित 120 बी, 343 सपठित 120 बी और 346 सपठित 120 बी मे दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, उसे धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और 120 बी आईपीसी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 364 ए के तहत वैकल्पिक रूप से बरी कर दिया गया था । आईपीसी की धारा 365 सहपठित 120 बी, 343 सहपठित 120 बी और 346 सहपठित 120 बी आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी चुनौती को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। लेकिन राज्य की एक अपील में धारा 364 ए सपठित 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसे बरी किए जाने को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उसे उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया था।

अभियोजन मामला

4. पक्षकारो द्वारा उठाए गए विवाद की विशलेषण करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्य बताए जा सकते हैं।

5. अभियोजन पक्ष का मामला था कि श्री राम निवास मिर्धा का पुत्र राजेंद्र मिर्धा, 81–सी, आज़ाद मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में रह रहा था। वह नियमित रूप से सुबह लगभग 6.30/6.45 बजे उठते थे और लगभग एक या डेढ़ घंटे तक टहलते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 फरवरी, 1995 को, हमेशा की तरह, वह सुबह लगभग 7.00 बजे सुबह की सैर के लिए अपने आवास से निकले। उन्होंने मुश्किल से दो या तीन चक्कर पूरे किए थे और जब वह फिर से आगे के चक्कर लगाने के लिए सड़क पर पहुंचे, तो उन्होंने एक सफेद मारुति कार को

देखा और उसमें से एक आदमी निकला, उक्त व्यक्ति ने राजेंद्र मिर्धा से मकान नंबर 105 या 106 के स्थान के बारे में पूछा। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसे कार में धकेल दिया गया और ले जाया गया। कार में तीन लोग थे जिनके पास हथियार थे, राजेंद्र मिर्धा को नहीं पता कि उसका अपहरण क्यों किया गया, कुछ समय बाद श्री मिर्धा को एक घर में ले जाया गया। अपहरणकर्ताओं ने तब श्री मिर्धा को बताया कि वे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सदस्य थे। उनके एक सदस्य, देवेन्द्र पाल सिंह भुल्लर को 18–19 जनवरी, 1995 की रात को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि जर्मन अधिकारियों ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया था और अपहरणकर्ता उन्हें रिहा करना चाहते थे। यह भी कहा गया कि अपहर्ताओं के मन में व्यक्तिगत रूप से राजेंद्र मिर्धा से कोई शिकायत नहीं थी. अभियोजन पक्ष का यह भी मामला था कि प्रासंगिक समय पर, राजेंद्र मिर्धा के पिता श्री राम निवास मिर्धा समिति के अध्यक्ष होने के नाते संयुक्त संसदीय समिति का नेतृत्व कर रहे थे। अपहर्ताओं के अनुसार, श्री राम निवास मिर्धा एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और सरकार द्वारा उक्त कार्य करवाने की स्थिति में थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजेंद्र मिर्धा की पत्नी पीडब्लू 5 उदय रानी मिर्धा को सुबह लगभग 8.40 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का टेलीफोन आया, जिसने कहा कि राजेंद्र मिर्धा को बंधक बना लिया गया है और जब तक देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को मुक्त नहीं किया जाता, तब तक वे राजेंद्र मिर्धा को रिहा नही करेगे। उन्होंने आगे कहा कि न तो पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए और न ही टेलीफोन टैप किया जाना चाहिए। फोन करने वाले ने यह भी कहा कि वह उदय रानी मिर्धा को दोबारा फोन करेगा। उदय रानी ने उपरोक्त घटना और अज्ञात व्यक्ति के फोन की सूचना राजेंद्र मिर्धा के छोटे भाई हरेंद्र मिर्धा, पीडब्लू 29 को दी। हरेंद्र मिर्धा ने अशोक नगर थाने में जाकर अपने बड़े भाई राजेंद्र मिर्धा के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी. आईपीसी की धारा 365 के तहत की एफआईआर संख्या 57/1995(एक्स.पी–29) के रूप में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दया सिंह, सुमन सूद व अन्य व्यक्ति राजेंद्र मिर्धा के अपहरण में शामिल थे. इसलिए, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। दया सिंह और सुमन सूद को 3 अगस्त, 1995 को मिनियापोलिस हवाई अड्डे, मिनेसोटा, अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था, जब वे अवैध रूप से कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायाधीश, टेक्सास के उत्तरी जिले। फोर्ट वर्थ डिवीजन ने आईपीसी की धारा 343, 346, 353, 364 ए, 365, 420, 468, 471, 120 ए और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के साथ–साथ धारा 4 और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी दया सिंह के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दी। । इसी तरह, आईपीसी की धारा 343, 346, 353, 364A, 420, 468, 471, 120A और 120B के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी सुमन सूद के प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों को भारत लाए जाने के बाद, उनके खिलाफ आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "टाडा") के तहत अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया गया था। चूंकि प्रत्यर्पण के आदेश में टाडा के तहत अपराधों के मुकदमे का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए दया सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए इस अदालत में एक रिट याचिका दायर की और तर्क दिया कि टाडा के तहत चलाया गाया मुकदमा बिना अधिकार, शक्ति और क्षेत्राधिकार के था। और कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सका। इस न्यायालय ने प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, प्रत्यर्पण के आदेश के आलोक में विवाद को उचित ठहराया

और याचिका को यह कहते हुए स्वीकार किया कि टाडा के तहत कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता था। उक्त निर्णय दया सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ, [200 आई] 4 एससीसी 516: जेटी [200 आई] 5 एससीसी 31 के रूप में बताया गया। उपरोक्त निर्णय के बाद, टाडा के तहत अपराधों के लिए अभियोजन हटा दिया गया, मामले को टाडा के तहत नामित न्यायालय, अजमेर से स्थानांतरित कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश, जयपुर शहर की अदालत मे, जिसकी सुनवाई अंततः अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), श्रेणी संख्या ।, जयपुर द्वारा की गई और इसे 2003 के सत्र परीक्षण संख्या 26 के रूप में दर्ज किया गया।

ट्रायल कोर्ट का निर्णय

6. अभियोजन पक्ष ने 61 गवाहों से परीक्षित करवाया। कई दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर पेश किए गए। पक्षों को सुना गया और अंततः 20 अक्टूबर 2004 को ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा का आदेश दर्ज किया।

7. जहां तक दया सिंह का सवाल है, उन्हें आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई:

आजीवन कारावास और 500/– रुपये का, जुर्माना अदा न किये जाने पर छह माह तक साधारण कारावास भुगतना होगा।

आईपीसी की धारा 365 के तहत:

सात साल की कैद और 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा, जुर्माना अदा न किये जाने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आईपीसी की धारा 343/120 बी के तहत:

तीन साल की कैद और 500/– रुपये का जुर्माना भरना होगा, जुर्माना अदा न किये जाने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा 346/120 बी आईपीसी के तहत:

दो वर्ष तक कारावास भुगतना होगा।

मूल सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

8. अभियुक्त सुमन सूद को निम्नानुसार दोषी ठहराया गया –

आईपीसी की धारा 365/120 बी के तहत:

सात वर्ष का कारावास और 500/– रूपये का जुर्माना भुगतना होगा जुर्माना अदा न किये जाने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आईपीसी की धारा 343/120 बी के तहत:

तीन साल की कैद और 500 रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। जुर्माना अदा न किये जाने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा 346/120 बी आईपीसी के तहत:

दो वर्ष तक कारावास भुगतना होगा।

उच्च न्यायालय का निर्णय

9. दोषसिद्धि और सजा के आदेश से पति और पत्नी दोनों व्यथित थे और उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। धारा 364 ए के तहत अपराध के लिए सुमन सूद को बरी करने के आदेश से राज्य भी व्यथित था, आईपीसी की धारा 120 बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 364 ए के विकल्प के तौर पर राज्य ने अपील की थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, दोनों आरोपियों की अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, जबकि सुमन सूद के खिलाफ राजस्थान राज्य की अपील की स्वीकार की गई थी और उन्हें आईपीसी की धारा 364 ए सपठित 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि कृत्यों और परिणामों की गंभीरता और कायरतापूर्ण प्रकृति को देखते हुए, दया सिंह और साथ ही सुमन सूद को "जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि वे कम से कम बीस साल कारावास की सजा काट न लें, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जो वे पहले ही भुगत चुके हैं।"

सर्वोच्च न्यायालय में अपील

10. उपरोक्त आदेशों को अपीलार्थी–अभियुक्तों द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई है।

11. 21 अगस्त 2006 को सुमन सूद द्वारा दायर अपील **dh vuqefr nh x;hA** मुद्रण की छूट दे दी गई और अपील की सुनवाई एसएलपी पेपर बुक्स पर करने का आदेश दिया गया। पार्टियों को अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने का निर्देश दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुमन सूद द्वारा जमानत के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि वह सजा काट चुकी है जिसके लिए ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की थी और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज आईपीसी की धारा 364 ए सपठित धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि के आदेश के कारण उसे जेल में रहना पड़ा। इसलिए, उसने प्रार्थना की कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। हालाँकि, अदालत ने जमानत की प्रार्थना स्वीकार करने के बजाय, रजिस्ट्री को मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया। दया सिंह ने भी अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। 6 फरवरी 2007 को, जब सुमन सूद की अपील को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो यह कहा गया कि दया सिंह को ट्रायल कोर्ट के साथ–साथ हाई कोर्ट ने भी दोषी ठहराया था और उन्होंने एक अपील भी दायर की थी, लेकिन यह एसएलपी के चरण पर थी, और नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई अनुमति नहीं दी गई। आगे कहा गया कि दोनों मामलों में हाई कोर्ट का फैसला एक जैसा था, लेकिन दया सिंह के मामले को बोर्ड में नहीं रखा गया. इसलिए, न्यायालय ने रजिस्ट्री को उचित आदेश प्राप्त करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखने का निर्देश दिया ताकि दोनों मामलों को एक पीठ के समक्ष रखा जा सके। अब सारे मामले हमारे सामने सुनवाई के लिए रखे गए हैं।

अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतियाँ

12. हमने सुमन सूद के वरिष्ठ वकील श्री सुशील कुमार, अपीलकर्ता–अभियुक्तों के लिए दया सिंह की वकील सुश्री कामिनी जयसवाल और **izR;FkhZ**–राज्य के वकील श्री मिलिंद कुमार को सुना है।

13. सुमन सूद के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार और दया सिंह के लिए सुश्री कामिनी जयसवाल ने तर्क दिया कि 1931 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि की गई थी। उक्त संधि में, इसका कोई संदर्भ नहीं था फिरौती के लिए अपहरण का अपराध आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दंडनीय है । आईपीसी की धारा 364 ए सपठित धारा 120 बी के तहत अपराधों के लिए अभियोजन और मुकदमा , इसलिए, अवैध और अधिकार क्षेत्र के बाहर था और दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है। यह भी आग्रह किया गया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, क्योंकि आईपीसी की धारा 364 ए की सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की गई है। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि आरोपी ने पीड़ित राजेंद्र मिर्धा की रिहाई के लिए कोई धमकी दी थी या कोई फिरौती देने को कहा था। श्री राम निवास मिर्धा को प्राप्त फैक्स संदेशों में फिरौती का कोई उल्लेख नहीं था। फिर, नाम के लायक कोई सबूत नहीं था जो साबित करता कि दया सिंह केएलएफ का सदस्य था या उसका भुल्लर के साथ कोई संबंध था। यह आग्रह किया गया कि अभियुक्तों की पहचान संदेह से परे स्थापित नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्वीकार किया था कि अभियुक्तों की तस्वीरें टेलीविजन पर दिखाई गईं और समाचार पत्रों में छपीं। इसलिए, पहचान परेड महज एक दिखावा और एक खोखली औपचारिकता थी। यह भी साबित नहीं हुआ कि मकान नंबर बी–117, मॉडल टाउन विशेष रूप से दया सिंह का था, जिसमें राजेंद्र मिर्धा को हिरासत में लिया गया था। सफेद मारुति कार का मालिकाना हक भी साबित नहीं हुआ। साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं था और दोनों अदालतें अपीलकर्ताओं को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने में गलत थीं जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

14. सुमन सूद की ओर से कुछ अतिरिक्त तर्क दिये गये। यह तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 365 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं दिया गया था । इसलिए, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और न ही उक्त अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता था। इसलिए, उसकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह भी आग्रह किया गया कि जब उसे आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया था और धारा 364 ए / 120 बी , आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के विकल्प के रूप में , उच्च न्यायालय ने धारा 120 बी आईपीसी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 364 ए के तहत उसे दोषी ठहराना स्पष्ट रूप से गलत था। यह भी आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण विचार को नजरअंदाज कर दिया कि वह वैशाली नगर की एफआईआर संख्या 1995 की 44 में आरोपी नहीं थी। मालवीय नगर की एफआईआर संख्या 1995 की 84 में, उनके पति दया सिंह के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया था। आईपीसी की धारा 420 , 468 , 471 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसे यह कहते हुए बरी कर दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया जा सके । सुमन सूद को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की अनुमति भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई और उक्त निर्णय अंतिम हो गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भले ही यह माना जाता है कि अन्य अपराधों के लिए उसकी सजा अवैध नहीं है , आईपीसी की धारा 120 बी के साथ पढ़ी जाने वाली

धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए ।

राज्य द्वारा प्रस्तुतियाँ

15. राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्पण के संबंध में कहा गया कि प्रत्यर्पण संधि 1931 की थी । आईपीसी की धारा 364 ए को वर्ष 1993 में क़ानून की किताब में शामिल किया गया था। जाहिर है, संधि में उक्त प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं मिला। लेकिन अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्यर्पण–आदेश, दिनांक 11 जून, 1997 में, आईपीसी की धारा 364 ए का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान के तहत अभियुक्तों के मुकदमे के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है ।

16. इसी तरह, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 और 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी दया सिंह के प्रत्यर्पण की भी अनुमति दी गई थी। इसलिए, आरोपी का मुकदमा गैरकानूनी या कानूनी मंजूरी के बिना नहीं माना जा सकता है।

17. गुण–दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि अपहरण और फिरौती के भी पर्याप्त सबूत थे, जो भुल्लर की रिहाई की मांग थी। सबूतों से दया सिंह द्वारा राजेंद्र मिर्धा के अपहरण, व्पहरण और मकान नंबर बी–117, मॉडल टाउन, अशोक नगर, जयपुर में **dSn** में रखने की पुष्टि हुई। यह भी साबित हो गया कि जिस सफेद मारुति कार में पीड़ित को ले जाया गया था, वह दया सिंह की थी इसलिए, अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि करके खारिज किए जाने योग्य हैं।

18. हमने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर अपना चिंताजनक और सबसे विचारशील विचार किया है। हमने दोनों अदालतों के फैसलों का भी अध्ययन किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है।

अभियुक्त का प्रत्यर्पण

19. प्रत्यर्पण के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि 22 दिसंबर, 1931 को संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई थी। इसने अनुच्छेद 3 में उल्लिखित किसी भी अपराध या अपराध के अभियुक्तों/दोषियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण का प्रावधान किया। उक्त अनुच्छेद में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित अपराध/अपराध शामिल थे;

....

7. अपहरण या झूठा कारावास।

....

9. अपहरण

....

20. जालसाजी, आदि।

अनुच्छेद 7 इस प्रकार पढ़ता है;

आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को किसी भी मामले में हिरासत में नहीं रखा जा सकता है या उच्च अनुबंध पार्टी के क्षेत्रों में मुकदमे में नहीं लाया जा सकता है, जिसके लिए किसी अन्य अपराध या अपराध के लिए आत्मसमर्पण किया गया है, या उन मामलों के अलावा किसी अन्य मामले के कारण। प्रत्यर्पण तब तक होता रहेगा, जब तक कि उसे हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के क्षेत्रों में बहाल नहीं कर दिया जाता या लौटने का अवसर नहीं मिल जाता, जिसके द्वारा उसे आत्मसमर्पण कर दिया गया है।

20. संधि के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महामहिम ने संधि में नामित अपने किसी भी डोमिनियन की ओर से संधि में प्रवेश किया। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ भारत भी शामिल था।

21. 1931 की प्रत्यर्पण संधि इस क्षेत्र पर कायम है। थिराड बनाम फेरैंडिनो, 355 फ्रेड सप्प 1155 में, भारत सरकार ने जे, एक भारतीय नागरिक और संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासी विदेशी के प्रत्यर्पण की मांग की। जे पर आरोप है कि भारतीय नौसेना में नौकरी करते हुए उन्होंने बड़ी रकम का गबन किया। इसलिए, जे के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। जे ने इस आधार पर कार्रवाई को चुनौती दी कि 1931 की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच थी जब भारत ग्रेट ब्रिटेन का डोमिनियन था। 1950 में, भारत गणतांत्रिक राज्य बन गया और जो संधि ब्रिटिश–भारत के रूप में थी, वह टिक नहीं पाई। हालाँकि, विवाद को अस्वीकार कर दिया गया और जे का प्रत्यर्पण मंजूर कर लिया गया।

22. रोज़िलीन जॉर्ज बनाम भारत संघ , (1994) 2 एससीसी 80: जेटी 1993 (6) एससी 51 में, इस न्यायालय ने इस बिंदु पर प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में अच्छी तरह से स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि एक बदलाव एक संविदाकारी राज्य की सरकार के रूप में अपनी संधियों को समाप्त नहीं करेगी। ब्रिटिश शासन के तहत भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक राज्य के रूप में अपना व्यक्तित्व बरकरार रखा था। यह अपने आप में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य था। 1947 में स्वतंत्रता की मंजूरी और 1950 में संप्रभु गणराज्य की स्थिति ने भारत की ओर से 15 अगस्त, 1947 या 26 जनवरी, 1950 से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई संधियों को समाप्त नहीं किया।

23. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 1931 में हुई प्रत्यर्पण संधि, इसलिए लागू है, अस्तित्व में है और क्रियाशील है।

24. इसके अलावा, मौजूदा मामले में, 11 जून, 1997 को प्रत्यर्पण योग्यता के प्रमाणीकरण का अंतिम निर्णय है, जो निर्णय, आदेश या डिक्री की प्रकृति में था, जिसमें कथित तौर पर विभिन्न अपराधों के लिए दया सिंह और सुमन सूद के प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी। उनके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है. उक्त निर्णय में आईपीसी की धारा 364 ए का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इन दोनों दस्तावेजों को पीडब्लू 56 एसपी खड़गवत ने साबित किया है।

25. वास्तव में, प्रत्यर्पण डिक्री में निर्दिष्ट अपराधों के लिए दया सिंह के प्रत्यर्पण के आदेश के आलोक में, उनके द्वारा इस न्यायालय में एक तर्क उठाया गया था कि उन पर TADA के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जो तर्क दिया गया था इस न्यायालय द्वारा दया सिंह मामले को बरकरार रखा गया।

26. ऑपरेटिव भाग में, न्यायालय ने कहा; "अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ–साथ इस देश में प्रासंगिक क़ानून दोनों पर कानून में उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम इन मामलों को इस निष्कर्ष के साथ निपटाते हैं कि प्रत्यर्पण डिक्री के तहत इस देश में लाए गए भगोड़े पर केवल उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जिनका प्रत्यर्पण डिक्री में उल्लेख किया गया है और किसी अन्य अपराध के लिए नहीं और इस देश की आपराधिक अदालतों के पास किसी अन्य अपराध के लिए ऐसे भगोड़े पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। (जोर दिया गया)

27. इसलिए, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता–अभियुक्तों पर धारा 364 ए, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए, अपीलकर्ताओं के तर्क में कोई बल नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

28. सुमन सूद की ओर से एक और दलील दी गई. यह तर्क दिया गया कि उसके मामले में प्रत्यर्पण आदेश में आईपीसी की धारा 365 का उल्लेख नहीं था , लेकिन दोनों अदालतों ने उसे आईपीसी की धारा 365 / 120 बी के तहत उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया , जो अवैध, गैरकानूनी और कानून के अधिकार के बिना था। इसलिए, आईपीसी की धारा 120 बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 365 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाना चाहिए।

29. हमें उक्त विवाद में भी कोई तथ्य नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्पण के आदेश में आईपीसी की धारा 365 का उल्लेख नहीं किया गया था । लेकिन जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, धारा 364 ए , आईपीसी को डिक्री में शामिल किया गया था। अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि अभियुक्त पर बड़े अपराध का आरोप लगाया गया है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर, अदालत को पता चलता है कि अभियुक्त ने वह अपराध नहीं किया है, लेकिन समान रूप से संतुष्ट है कि उसने छोटा अपराध किया है, तो उसे ऐसे छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, यदि ए पर बी की हत्या करने का अपराध करने का आरोप है, और अदालत को पता चलता है कि बी ने आईपीसी की धारा 300 में परिभाषित हत्या नहीं की है, लेकिन आश्वस्त है कि बी ने गैर इरादतन हत्या का अपराध किया है (जैसा कि) धारा 299 , आईपीसी में परिभाषित), उक्त अपराध के लिए बी को दोषी ठहराने में अदालत पर कोई रोक नहीं है और बी द्वारा ऐसी सजा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती है।

30. प्रत्यर्पण मामलों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। मूल रूप से अधिनियमित प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 21 इस प्रकार पढ़ी गई;

धारा 21 : अभियुक्त या दोषी व्यक्ति ने विदेशी राज्य या राष्ट्रमंडल देश द्वारा आत्मसमर्पण किया या लौटाया, उस पर पिछले अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा: – जब भी किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है या दोषी ठहराया जाता है, जो अगर भारत में किया जाता, तो प्रत्यर्पण अपराध होता,

आत्मसमर्पण किया जाता है या किसी विदेशी राज्य या राष्ट्रमंडल देश द्वारा लौटाया गया है, उस व्यक्ति पर, जब तक कि उसे बहाल नहीं किया गया है या उस राज्य या देश में लौटने का अवसर नहीं मिला है, तब तक आत्मसमर्पण या वापसी से पहले किए गए किसी अपराध के लिए भारत में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। प्रत्यर्पण अपराध उन तथ्यों से साबित होता है जिन पर आत्मसमर्पण या वापसी आधारित है।"

31. हालाँकि, इस धारा को 1993 में प्रत्यर्पण (संशोधन) अधिनियम , 1993 (1993 का अधिनियम 66) द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधित धारा अब इस प्रकार है; " धारा 21 – अभियुक्त या दोषी व्यक्ति ने विदेशी राज्य द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया या लौटा दिया, उस पर कुछ अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। – जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का आरोपी या दोषी ठहराया जाता है, जो यदि भारत में किया जाता तो प्रत्यर्पण अपराध होता, तो उसके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है या विदेशी राज्य द्वारा वापस कर दिया जाता है। किसी विदेशी राज्य में, ऐसे व्यक्ति पर, जब तक कि उसे बहाल नहीं किया गया हो या उसे उस राज्य में लौटने का अवसर न मिला हो, भारत में किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा–

(ए) प्रत्यर्पण अपराध जिसके संबंध में उसे आत्मसमर्पण किया गया था या लौटाया गया था; या

(बी) किसी अपराध के अलावा उसके आत्मसमर्पण या वापसी को सुरक्षित करने के प्रयोजनों के लिए साबित तथ्यों द्वारा प्रकट किया गया कोई भी छोटा अपराध जिसके संबंध में उसके आत्मसमर्पण या वापसी का आदेश कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता है; या

(सी) वह अपराध जिसके संबंध में विदेशी राज्य ने अपनी सहमति दी है।"

(जोर दिया गया)

32. इसलिए, यह स्पष्ट है कि आपराधिक न्याय के प्रशासन का सामान्य सिद्धांत घरेलू या नगरपालिका कानून पर लागू होता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रों के कानून और प्रत्यर्पण–संधि के अंतर्गत आने वाले मामलों तक भी बढ़ाया गया है।

33. दया सिंह मामले में, प्रत्यर्पण अधिनियम की संशोधित धारा 21 से निपटने वाले इस न्यायालय ने कहा; "उपरोक्त धारा का प्रावधान प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति के मुकदमे पर प्रतिबंध लगाता है और यह किसी अन्य अपराध के लिए भगोड़े अपराधी के मुकदमे पर तब तक रोक लगाता है जब तक कि बहाली या वापस लौटने का अवसर की शर्त पूरी नहीं हो जाती। संशोधित अधिनियम के तहत 1993, इसलिए, किसी भगोड़े पर किसी भी छोटे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसका खुलासा तथ्यों द्वारा किया गया हो या यहां तक कि उस अपराध के लिए भी किया जा सकता है जिसके संबंध में विदेशी राज्य ने अपनी सहमति दी है। इस प्रकार, यह भगोड़े को बिना किसी छोटे अपराध के लिए मुकदमा चलाने में सक्षम बनाता है। उसे राज्य में या किसी अन्य अपराध के लिए बहाल करना, यदि संबंधित राज्य अपनी सहमति देता है"। (जोर दिया गया)

34. अब, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 365 के तहत अपराध, आईपीसी की धारा 364ए के तहत दंडनीय अपराध से छोटा अपराध है। चूंकि सुमन सूद के प्रत्यर्पण को उच्च अपराध (धारा 364 ए, आईपीसी) के साथ दंडनीय अपराध के लिए अनुमति दी गई थी, इसलिए कम अपराध (धारा

365, आईपीसी) के लिए उसका अभियोजन और मुकदमा कानून के अधिकार के बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विवाद में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

गुण–दोश

35. अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का निपटारा करने के बाद, अब हम मामले के गुण–दोष पर आते हैं।

दया सिंह लाहौरिया

36. जहां तक राजेंद्र मिर्धा के अपहरण का सवाल है, यह अभियोजन साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित और प्रमाणित किया गया है। हमारी राय में, ट्रायल कोर्ट ने राजेंद्र मिर्धा की नौकरानी पीडब्लू 1 प्रेम देवी, पीडब्लू 1 के बेटे पीडब्लू 2 राकेश कुमार, पीडब्लू 3 हेमराम, राजेंद्र मिर्धा के घर के शेफ, पीडब्लू 5 उदय की गवाही पर भरोसा करना सही था। रानी मिर्धा, राजेंद्र मिर्धा की पत्नी, पीडब्लू 6 किशोर सिंह, पीड़ित राजेंद्र मिर्धा के पड़ोसी, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने 16 फरवरी, 1995 की पिछली रात लगभग 8.00 बजे उस क्षेत्र में एक सफेद मारुति कार देखी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीडब्लू 9, पीड़ित राजेंद्र मिर्धा स्वयं। पीडब्लू 29 हरेंद्र मिर्धा, राजेंद्र मिर्धा का सगा भाई, जिसे उदय रानी मिर्धा ने अपने पति राजेंद्र मिर्धा के अपहरण की सूचना दी थी और उक्त सूचना के आधार पर हरेंद्र मिर्धा ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीडब्लू 50 श्री राम निवास मिर्धा और पीडब्लू 36 हरि किशन ने भी राजेंद्र मिर्धा के अपहरण की घटना की पुष्टि की। हमारी राय में ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के साक्ष्यों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया गया था। हमें अभियोजन साक्ष्य में और न ही दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई कमजोरी नजर आती है। इस प्रकार राजेंद्र मिर्धा का अपहरण स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है।

37. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है कि राजेंद्र मिर्धा का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था या आरोपी दया सिंह द्वारा राजेंद्र मिर्धा की रिहाई के लिए कोई मांग की गई थी। हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष का शुरू से ही यह मामला था कि राजेंद्र मिर्धा का अपहरण केवल खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सदस्य भुल्लर को रिहा कराने के लिए किया गया था और चूंकि पीड़ित राजेंद्र के पिता श्री राम निवास मिर्धा थे। मिर्धा संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे, वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त भुल्लर को रिहा करा सकते थे। पीडब्लू 5 उदय रानी मिर्धा ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया कि 17 फरवरी 1995 को सुबह लगभग 7.00 बजे उनके पति के अपहरण के बाद, उन्हें अपहरणकर्ताओं का फोन आया, जिसे उन्होंने उठाया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि राजेंद्र मिर्धा का उन्होंने अपहरण कर लिया है। फोन करने वाले ने उदय रानी से भुल्लर का नाम लिखने के लिए भी कहा, जिसे उसके ससुर श्री राम निवास मिर्धा पर प्रभाव डालकर रिहा किया जाना चाहिए। पीडब्लू 9 राजेंद्र मिर्धा ने यह भी बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें बताया था कि वे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सदस्य थे और गिरफ्तार किए गए सदस्यों में से एक (भुल्लर) को रिहा करना चाहते थे। पीडब्लू 29 हरेंद्र मिर्धा ने उदय रानी के संस्करण की पुष्टि की। पीडब्लू 50 श्री राम निवास मिर्धा ने यह भी कहा कि उन्हें अपहरणकर्ताओं के फोन आते थे कि भुल्लर को रिहा किया जाना चाहिए अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गवाह ने यह भी बताया कि फोन करने वाले ने कहा कि गवाह भुल्लर की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से भी बात कर सकता है और

प्रधानमंत्री इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। यह सच है कि पीडब्लू 52 राकेश कुमार, रोहतक में फैक्स दुकान के मालिक ने गवाही दी कि एक फैक्स संदेश दिल्ली भेजा गया था जबकि दूसरा चंडीगढ़ भेजा गया था। यह भी सच है कि उन्होंने आरोपी को फैक्स संदेश भेजने वाले के रूप में पहचानने में असमर्थता जताई, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह को **i{knzksgh** घोषित कर दिया गया था और लोक अभियोजक के एक प्रश्न का उत्तर देते समय, गवाह ने कहा कि उसने जेल में उस व्यक्ति की सही पहचान की थी जिसने फैक्स संदेश भेजा था, लेकिन यह भी कहा कि वह दया सिंह नहीं था। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि वह डर के कारण आरोपियों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं।

38. यह सच है कि राजेंद्र मिर्धा द्वारा भेजे गए और श्री राम निवास मिर्धा द्वारा प्राप्त किए गए दो फैक्स संदेशों (उदा. पी–19 और पी–20) में किसी मांग या फिरौती का कोई संदर्भ नहीं था। हालाँकि, हमारे निर्णय में, संदेश पहले ही पीड़ित राजेंद्र मिर्धा की पत्नी उदय रानी मिर्धा और राजेंद्र मिर्धा के पिता श्री राम निवास मिर्धा को टेलीफोन कॉल के माध्यम से दिया जा चुका था। जाहिर है, जिस मांग के लिए राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया गया था, वह स्पष्ट रूप से बताई गई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि पीड़ित राजेंद्र मिर्धा द्वारा फैक्स संदेश में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए उसका अपहरण, अपहरण और हिरासत फिरौती के लिए नहीं था।

39. ऊपर जो कहा गया है, उससे हमारी राय में, न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 365 और 364 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी दया सिंह को दोषी ठहराने में न तो तथ्य की गलती की है और न ही कानून की गलती की है । जहां तक सुमन सूद का सवाल है, हम उचित स्तर पर मामले में उनकी संलिप्तता से निपटेंगे।

40. मकान नंबर बी–117, मॉडल टाउन, अशोक नगर, जयपुर की खरीद और आरोपी द्वारा उक्त मकान पर विशेष कब्जे के साक्ष्य स्थापित हैं और अभियोजन साक्ष्य को दोनों अदालतों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरह, पंजीकरण संख्या आरजे–14 आईसी 2005 वाली सफेद मारुति कार का स्वामित्व और उस पर आरोपी का कब्जा भी समान रूप से साबित हुआ है। हमें यह नहीं दिखाया गया कि दोनों अदालतें सबूतों पर भरोसा करने में कैसे गलत थीं और ऐसे सबूतों को क्यों खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह साबित नहीं हुआ है कि आरोपियों के पास मकान नंबर 8–117, मॉडल टाउन या मारुति कार थी जिसमें पीड़ित राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया गया था, वह उनकी नहीं थी।

41. अभियुक्तों की पहचान के संबंध में, दोनों अदालतों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर विचार किया और निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियुक्तों की पहचान संदेह से परे स्थापित की गई थी। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि पीडब्लू 9, पीड़ित राजेंद्र मिर्धा की गवाही स्वाभाविक और आत्मविश्वास से प्रेरित थी। उनके साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि 17 फरवरी, 1995 की सुबह उनका अपहरण कर लिया गया था और वह 25 फरवरी, 1995 को मुठभेड़ की तारीख तक, यानी आठ–नौ दिनों तक अपहरणकर्ताओं के साथ रहे। जाहिर है, इसलिए, उनकी गवाही अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। दोनों अदालतों ने इस पर विश्वास किया और हमें निचली अदालतों के

दृष्टिकोण में कुछ भी गलत नहीं दिखता। यह सच है और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तों की तस्वीरें टेलीविजन पर दिखाई गईं और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुईं। हालाँकि, इसका अभियोजन पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि अन्यथा अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय हों और न्यायालय अभियुक्त की पहचान के बारे में संतुष्ट हो। इसलिए, वह आधार भी अपीलकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता। इस प्रकार यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 343 सहपठित 120 बी, आईपीसी और धारा 346 सहपठित 120 बी, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया था ।

42. अपील की सुनवाई के समय राज्य के विद्वान वकील द्वारा एक सूची दी गई कि दया सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे। हालाँकि, अभियुक्तों के विद्वान वकील ने कहा कि सूची सटीक नहीं थी और अधिकांश मामलों में या तो दया सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया गया था या अभियोजन के परिणामस्वरूप बरी कर दिया गया था, केवल कुछ मामलों को छोड़कर जहाँ दोषसिद्धि हुई थी या कार्यवाही लंबित थी। अंतिम लिखित प्रस्तुतिकरण में, राज्य के वकील ने सभी मामलों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की और ऐसा प्रतीत होता है कि दया सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सही थे। कुछ मामलों में आरोपियों के खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया गया। कुछ अन्य मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया, कुछ मामलों को छोड़कर, जहां या तो दोषसिद्धि हुई थी या मामला विचाराधीन था। हालाँकि, हम न्यायालय के समक्ष मौजूद साक्ष्यों के आलोक में वर्तमान मामले का निर्णय कर रहे हैं और अन्य मामलों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

43. उपरोक्त चर्चा और दर्ज किए गए निष्कर्षों से, हमारी सुविचारित राय में, न तो ट्रायल कोर्ट और न ही उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्त दया सिंह को धारा 365, 364 ए, 343/120 बी और 346 /120 बी , आई.पी.सी. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि की हैं। *सुमन सूद*

44. जहां तक सुमन सूद का सवाल है, यह कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें स्वतंत्र रूप से किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया। उसे आईपीसी की धारा 365 / 120 बी , 343/120 बी और 346/120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था ।

आपराधिक षडयंत्र

45. सुमन सूद के विद्वान वकील ने पुरजोर आग्रह किया कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं है। वह न तो उस कार में थी जिसमें राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया गया था और न ही वह 'अपहरण–ऑपरेशन' टीम के सदस्यों में से एक थी। यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि वह अन्य आरोपियों की योजना से अवगत थी और ऐसी साजिश का हिस्सा थी। यदि अभियोजन की पूरी कहानी पर विश्वास किया जाए तो भी यह कहा जा सकता है कि राजेंद्र मिर्धा का अपहरण कर उसे मकान नंबर बी–117, मॉडल टाउन, अशोक नगर, जयपुर ले जाया गया, जहां वह मिली थी। अब, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वह आरोपी दया सिंह की पत्नी थी और इसलिए, अपने पति के साथ अपने ही घर में उसकी उपस्थिति सबसे स्वाभाविक थी। इसलिए, बिना किसी और बात के, उक्त तथ्य उसे उस अपराध से नहीं जोड़ सकता है जो उसके पति या किसी और द्वारा किया गया बताया गया है।

46. पहली नज़र में, तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर, हमें इसमें कोई सार नहीं मिलता है। अभियोजन पक्ष का मामला बिंदु पर बहुत स्पष्ट है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुमन सूद पूरे समय मॉडल टाउन के मकान नंबर बी–117 में थीं, जहां राजेंद्र मिर्धा को रखा गया था। दरअसल, वही पीड़ित राजेंद्र मिर्धा की देखभाल कर रही थी, उसने उसे भोजन, दवा आदि उपलब्ध कराई। इसलिए, यह विश्वास करना मुश्किल है कि उसे राजेंद्र मिर्धा के अपहरण के बारे में पता नहीं था और न ही वह इस तथ्य से अनभिज्ञ थी कि पीड़ित को इस तरह से गलत तरीके से कैद में रखा गया था जिससे यह संकेत मिलता हो कि राजेंद्र मिर्धा को गुप्त स्थान पर रखा गया था।

47. यह सच है कि यह दिखाने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि सुमन सूद, राजेंद्र मिर्धा के अपहरण और उसे मकान नंबर बी–117, मॉडल टाउन में **dSn** में लेने की साजिश में एक पक्ष थी। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि साजिश का अनुमान आसपास की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है क्योंकि सामान्य तौर पर साजिश का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है।

48. इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानूनों में, (चौथा संस्करण; खंड 11; पैरा 58); यह कहा गया है;

"साजिश में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति से एक गैरकानूनी कार्य करना, या गैरकानूनी तरीकों से एक वैध कार्य करना शामिल है। यह सामान्य कानून में एक संकेत अपराध है, जिसके लिए सजा कारावास या जुर्माना या दोनों न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। साजिश के अपराध का सार समझौते द्वारा संयोजन का तथ्य है। समझौता व्यक्त या निहित हो सकता है, या आंशिक रूप से व्यक्त और आंशिक रूप से निहित हो सकता है। समझौता होते ही साजिश उत्पन्न होती है और अपराध किया जाता है ; और अपराध तब तक किया जाता है जब तक संयोजन बना रहता है, अर्थात जब तक षड्यंत्रकारी समझौता अपने निष्पादन के पूरा होने या परित्याग या हताशा से समाप्त नहीं हो जाता है या जो भी हो, एक साजिश में एक्टस रीस समझौता है गैरकानूनी आचरण को अंजाम देना, न कि उसका निष्पादन। यह पर्याप्त नहीं है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही समय में या एक ही स्थान पर एक ही गैरकानूनी वस्तु का पीछा करते हैं; किसी निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए मन का मिलन, गैरकानूनी उद्देश्य की आम सहमति दिखाना आवश्यक है, हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साजिशकर्ता एक–दूसरे के साथ संचार में रहा हो।"

49. भगवान स्वरूप बनाम महाराष्ट्र राज्य में, (1964) 2 एससीआर 368: एआईआर 1965 एससी 682; इस न्यायालय ने कहा; "इसलिए, साजिश का सार यह है कि धारा में वर्णित कार्यों में से एक या अन्य को करने के लिए व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए। उक्त समझौते को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है या पार्टियों के कृत्यों और आचरण से अनुमान लगाया जा सकता है। षडयंत्र के अपराध और किसी अन्य अपराध के सबूत के तरीके के बीच कोई अंतर नहीं है; इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। (जोर दिया गया)

50. बाबूराव बाजीराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य , (1971) 3 एससीसी 432 में, इस न्यायालय ने पाया कि शायद ही कभी ऐसा होता है कि साजिश का प्रत्यक्ष सबूत सामने आता है। अपने स्वभाव से ही षडयंत्र पूरी गोपनीयता से रचा और रचा जाता है, अन्यथा पूरा उद्देश्य विफल हो जाता।

51. केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में, (1988) 3 एससीसी 609: एआईआर 1988 एससी 1883, शेट्टी, जे. ने कहा; "आम तौर पर, एक साजिश गोपनीयता में रची जाती है और इसका प्रत्यक्ष सबूत पेश करना मुश्किल हो सकता है। अभियोजन पक्ष अक्सर यह अनुमान लगाने के लिए विभिन्न पक्षों के कृत्यों के साक्ष्य पर भरोसा करेगा कि वे उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में किए गए थे। अभियोजन पक्ष यह करेगा अक्सर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भी भरोसा किया जाता है। प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य ऐसे साक्ष्यों से साजिश निस्संदेह साबित हो सकती है। लेकिन अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इसे आगे बढ़ा रहे हैं और या वे गैरकानूनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ आए हैं। पूर्व उन्हें षडयंत्रकारी नहीं बनाता है, लेकिन बाद वाला है। हालाँकि, यह आवश्यक है कि षडयंत्र के अपराध के लिए किसी प्रकार की सहमति की भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। हालाँकि, व्यक्त समझौते को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न ही दो व्यक्तियों की वास्तविक मुलाकात है आवश्यक। न ही संचार के वास्तविक शब्दों को साबित करना आवश्यक है। गैरकानूनी डिजाइन साझा करने वाले विचारों के प्रसारण के सबूत पर्याप्त हो सकते हैं"।

52. नजीर खान बनाम दिल्ली राज्य , (2003) 8 एससीसी 461: एआईआर 2003 एससी 4427: जेटी 2003 (सप्लीमेंट) 1 एससी 200 में, इस न्यायालय ने देखा;

"सार्वजनिक दृश्य के लिए खुले ऊंचे स्थान पर जोरदार चर्चा की तुलना में गोपनीयता और गोपनीयता एक साजिश की अधिक विशेषताएं हैं। साजिश के सबूत में प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही उपलब्ध हैं, साजिश का अपराध प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। यह आपराधिक साजिश के गठन की तारीख, साजिश के निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में, उस वस्तु के बारे में, जिसे आपत्तिकर्ताओं ने साजिश की वस्तु के रूप में अपने सामने रखा था, और उसके बारे में सकारात्मक साक्ष्य देना हमेशा संभव नहीं होता है। साजिश के उद्देश्य को किस तरह से अंजाम दिया जाना है, यह सब आवश्यक रूप से अनुमान का विषय है।"

53. उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम सुमन सूद के मामले पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा आपराधिक साजिश के रूप में दोनों न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोजन साक्ष्य से यह पूरी तरह साबित हो गया है कि राजेंद्र मिर्धा का अपहरण दया सिंह और उसके 'साथियों' ने किया था। उसे किसी गुप्त स्थान पर रखा जाना था. सुमन सूद उक्त तथ्य से भली–भांति परिचित थीं। दरअसल, वह पूरे समय पीड़ित पर नजर रखे हुए थी। यहां तक कि पीड़ित राजेंद्र मिर्धा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वह खाना, दवा आदि भी देती थी इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, दोनों अदालतें आईपीसी की धारा 365 सहपठित 120 बी, 343 सहपठित 120 बी और 346 सहपठित 120 बी, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सुमन सूद को दोषी ठहराने में सही था । हमें नीचे दी गई अदालतों के तर्क या निष्कर्ष में कोई खामी नहीं दिखती और हमें उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता।

फिरौती के लिए अपहरण

54. हालाँकि, हमारा विचार है कि आईपीसी की धारा 364 ए / 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सुमन सूद को बरी करने का फैसला पलटना उच्च न्यायालय द्वारा सही नहीं था । धारा 364 ए फिरौती के लिए अपहरण से संबंधित है। आइए फिरौती के लिए अपहरण के अपराध की प्रकृति और दायरे पर विचार करें।

55. 1860 में जब यह संहिता लागू की गई तो अपहरण और अपहरण के अपराधों को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया। हालाँकि, फिरौती के लिए अपहरण के अपराध को तब जगह नहीं मिली। 1993 में ही 1993 के अधिनियम 42 द्वारा धारा 364 ए जोड़ी गई थी। अपराध प्रकृति में गंभीर है और अपराध के लिए निर्धारित सजा मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना का भुगतान भी है।

56. धारा 364 ए इस प्रकार है:

364 ए. फिरौती के लिए अपहरण आदि

जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करता है या ऐसे अपहरण या व्यपहरण के बाद किसी व्यक्ति को **dSn** में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से उचित आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है या चोट पहुंचाई जा सकती है , या सरकार या 159 [किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर–सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति] को कोई कार्य करने या करने से विरत रहने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मौत का कारण बनता है, तो मृत्युदंड, या आजीवन कारावास, और जुर्माने के लिए भी दंडनीय होगा।

57. उपरोक्त धारा लागू होने और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले, अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित सामग्री साबित करनी होगी;

(1) अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का अपहरण, व्यपहरण या **dSn** में लिया होगा;

(2) उसने ऐसे व्यक्ति को **dSn** में या **dSn** में रखा होगा; और

(3) अपहरण, व्यपहरण या **dSn** फिरौती के लिए किया गया होगा।

[मल्लेशी बनाम कर्नाटक राज्य , (2004) 8 एससीसी 95 भी देखें]

58. संहिता में 'फिरौती' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है ।

59. एक संज्ञा के रूप में, 'फिरौती' का अर्थ है "किसी बंदी की रिहाई के लिए मांगी गई या भुगतान की गई धनराशि"। एक क्रिया के रूप में, 'फिरौती' का अर्थ है "फिरौती देकर (किसी को) रिहाई प्राप्त करना", "(किसी को) हिरासत में लेना और उसकी रिहाई के लिए फिरौती की मांग करना"। "किसी को फिरौती के लिए पकड़ना" का अर्थ है "किसी को बंदी बनाना और उसकी रिहाई के लिए भुगतान की मांग करना"। (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, 2002; पृष्ठ 1186)।

60. फिरौती के लिए अपहरण, फिरौती वसूलने का प्रयास करते समय किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से पकड़ना और फिर उस व्यक्ति को आमतौर पर एक गुप्त स्थान पर कैद करना अपराध है। इस गंभीर अपराध को

कभी–कभी मृत्युदंड अपराध बना दिया जाता है। अपहरणकर्ता के अलावा जो व्यक्ति फिरौती वसूलने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसे आम तौर पर अपराध का दोषी माना जाता है।

61. एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन के अनुसार, (तीसरा संस्करण, पृष्ठ 3932); "फिरौती किसी बंदी या युद्ध बंदी को छुड़ाने के लिए दी गई धनराशि या पुरस्कार है। इसका उपयोग किसी बड़े अपराध को माफ करने या कैद किए गए अपराधी को सजा देने के लिए दी गई धनराशि को दर्शाने के लिए भी किया जाता है।"

62. सरल शब्दों में कहें तो, 'फिरौती' किसी बंदी, कैदी या **fu:)** को रिहा करने के लिए मांगी जाने वाली धनराशि है।

63. वर्तमान मामले में, सुमन सूद को फिरौती के लिए राजेंद्र मिर्धा के अपहरण से जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सबूत नहीं है। माना कि जिस मारुति कार में राजेंद्र मिर्धा का अपहरण हुआ था, वह उस पार्टी की सदस्य नहीं थी। अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप नहीं है कि सुमन सूद ने किसी भी अवसर पर भुल्लर की रिहाई की मांग की थी या जब राजेंद्र मिर्धा (राजेंद्र मिर्धा की पत्नी उदय रानी मिर्धा या श्री राम) के परिवार के सदस्यों को ऐसे टेलीफोन कॉल किए गए थे तो वह मौजूद थीं। निवास मिर्धा, पिता राजेंद्र मिर्धा)। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि सुमन सूद खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) की सदस्य **थी**। यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि सुमन सूद भुल्लर को जानती थी या उसकी रिहाई में दिलचस्पी रखते थी। पीडब्लू 9 राजेंद्र मिर्धा ने स्वीकार किया कि वह मॉडल टाउन के मकान नंबर बी–117 में रहे, जहां सुमन सूद 17 फरवरी 1995 से 25 फरवरी 1995 तक लगभग आठ–नौ दिनों तक मौजूद थीं। राजेंद्र मिर्धा ने अपने बयान में कहीं नहीं कहा कि पूरी अवधि के दौरान सुमन सूद ने उसे बताया था कि उसका अपहरण कर लिया गया है और उसे वहां रखा गया है ताकि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सदस्यों में से एक को रिहा कर दिया जाए। हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 365 / 120 बी , 343 / 120 बी और 346 / 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा है कि दया सिंह ने राजेंद्र मिर्धा का अपहरण कर लिया था और उसे एक गुप्त स्थान (मकान नंबर बी–117) में रखा था। और सुमन सूद घर में रह रही थी और उसे पता था कि राजेंद्र मिर्धा का उसके पति ने अपहरण कर लिया है और उसे गुप्त स्थान पर रखा है। लेकिन सुमन सूद को फिरौती और भुल्लर की रिहाई के लिए आरोपी दया सिंह की कथित मांग से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी होना

64. ट्रायल कोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 364 या 364 ए सपठित धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सुमन सूद के खिलाफ 'उचित संदेह से परे' आरोप साबित करने में विफल रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं रखा गया था। जिसके अधार पर यह कहा जा सकता है कि यह स्थापित हो चुका है कि सुमन सूद भी 'दबाव की रणनीति' का हिस्सा थी या उन्होंने राजेंद्र मिर्धा के बदले में देवेंद्र

पाल सिंह भुल्लर को रिहा कराने के लिए पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को आतंकित किया था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने माना कि वह संदेह का लाभ पाने की हकदार थी।

65. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करके, ट्रायल कोर्ट ने न तो तथ्य की त्रुटि की है और न ही कानून की त्रुटि की है।

66. जैसा कि फैसले के पहले भाग में बताया गया है, सुमन सूद आरोपी दया सिंह की पत्नी हैं। इसलिए, यह स्वाभाविक था कि वह अपने पति के साथ मॉडल टाउन के मकान नंबर बी–117 में रह रही थी और केवल इस आधार पर, यह नहीं माना जा सकता कि वह 'निरंतर संबंध' में थी। राजेंद्र मिर्धा के अपहरण और पीड़ित को मकान नंबर बी–117 में रखने में दया सिंह के साथ मिलकर रखने के आपराधिक मामलों में सह–साजिशकर्ता के रूप में शामिल थी। हालाँकि, निचली अदालतों ने उसे आईपीसी की धारा 365 / 120 बी , 343 / 120 बी और 346 / 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और हमने उक्त दोषसिद्धि को बरकरार रखा है क्योंकि हमारे अनुसार, दोनों अदालतें यह निष्कर्ष निकालने में सही थीं कि वह यह माना जाना चाहिए कि उसे राजेंद्र मिर्धा के अपहरण और उसे हिरासत में लेने की जानकारी थी। वह पूरे समय उक्त घर में मौजूद थी और अच्छी तरह से जानती थी कि पीड़ित का अपहरण कर लिया गया है और उसे एक गुप्त स्थान पर रखा गया है। इन परिस्थितियों के कारण, हमने सुमन सूद के विद्वान वकील के तर्क को अस्वीकार कर दिया है और माना है कि दिल्ली राज्य (एनसीटी) बनाम नवजोत संधू @ अफसान गुरु , (2005) 11 एससीसी 600: जेटी 2005 (7) में निर्धारित अनुपात) एससी 1 लागू नहीं होगा जिसमें आरोपी की पत्नी को इस न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था।

67. हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सुमन सूद भी फिरौती के लिए अपहरण की साजिश का हिस्सा थी। सुमन सूद द्वारा फिरौती के बारे में किसी भी गवाह ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाही नहीं दी है। **izR;FkhZ**–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भी ऐसा कुछ नहीं बता सके जिससे यह कहा जा सके कि उसने आईपीसी की धारा 120 बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध किया है ।

68. इसलिए, सुमन सूद की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे फिरौती के लिए अपहरण के अपराध से बरी करना पूरी तरह से उचित था और कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं था। लेकिन भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि दूसरा दृष्टिकोण संभव था, यह स्थापित कानून है कि यदि दो विचार संभव हैं और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है, तो उच्च न्यायालय बरी करने के ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

69. इस संबंध में, इस न्यायालय के हालिया फैसले चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, जेटी (2007) 3 एससी 316 (2007) 3 स्केल 90 में, पर भरोसा किया गया था, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 और 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखा गया था और प्रिवी काउंसिल के साथ–साथ इस न्यायालय के प्रमुख निर्णयों का जिक्र करते हुए, हम में से एक (सी.के. ठक्कर, जे.) ने कहा;

"उपरोक्त निर्णयों से, हमारे विचार में, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं;

(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है;

(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर विचार कर सकता है ;

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ' आदि का उद्देश्य किसी की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय। साक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में अपीलीय न्यायालय की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह की वाक्यांशविज्ञान 'भाषा के पनपने' की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसे निर्दोषता की उपधारणा उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, आरोपी ने अपनी रिहाई सुनिश्चित कर ली है, उसकी बेगुनाही की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और भी मजबूत, पुन: पुष्टि और मजबूत किया गया है।

(5) यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

70. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आईपीसी की धारा 364 ए और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सुमन सूद को बरी करके ट्रायल कोर्ट ने अवैध या गैरकानूनी तरीके से काम किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय को आईपीसी की धारा 364 ए और 120 बी के तहत अपराध के लिए आरोपी सुमन सूद को बरी करने के फैसले को रद्द नहीं करना चाहिए था । इसलिए, उस हद तक, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

अंतिम आदेश

71. उपरोक्त कारणों से, दया सिंह द्वारा दायर की गई अपील खारिज करने योग्य है और तदनुसार, खारिज कर दी जाती है और ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई सजा और सजा के आदेश को बरकरार रखा गया है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

72. जहां तक आरोपी सुमन सूद का सवाल है, आईपीसी की धारा 365/120 बी, 343/120 बी और 346/120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा का आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आईपीसी की धारा 364 ए के

साथ पठित 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए उक्त अपराध के लिए उसे बरी किया जाता है।

73. अपीलों का तदनु**सार fuLrkj.k** किया जाता है।

"This is word to word true validation of the judgment done by Nadeem Ahamad."